



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 316/नियोजक अनुप/२५

दिनांक 26/4/25

प्रभारी कम्प्यूटर

कृपया शासनादेश संख्या-1/905249/2025/8-3099/303/2023 दिनांक 12.03.2025 के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के अध्याय-3.9 'भू-गेह (बेसमेन्ट)' के प्रस्तर-3.9.1 (iv) एवं प्रस्तर-3.9.2 (vii) में किये गये संशोधनों का प्राधिकरण की 168वीं बोर्ड बैठक द्वारा अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन हो गया है तथा इसके समुचित प्रचर-प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में प्राधिकरण वेब साईट पर अपलोड किये जाने हेतु संशोधित प्राविधानों को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः उक्त संशोधित प्राविधानों को प्राधिकरण वेब साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- संशोधित प्राविधान।


मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


संख्या-I/905249/2025/8-3099/303/2023 ई-मेल

प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 12 मार्च, 2025

विषय:- बेसमेन्ट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेन्ट की भौति एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि बेसमेन्ट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेन्ट की भौति एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के 'अध्याय-3.9 'भू-गोह (बेसमेन्ट)' के प्रस्तर-3.9.1 (IV) में निम्नानुसार नया खण्ड (ज) जोड़े जाने तथा प्रस्तर-3.9.2(VII) को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रस्तर	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
3.9.1 संरचना/प्रयोजन	--	(IV)(ज) बिल्डिंग एनवलप लाईन के अन्तर्गत अधिकतम 04 वर्गमीटर क्षेत्रफल का शौचालय जिसमें प्राकृतिक/मेकेनिकल वेंटीलेशन का प्राविधान हो तथा वेस्ट वाटर के समुचित निकासी के लिए पम्पिंग व्यवस्था हो।
	(VII) स्टील्ट फ्लोर के नीचे यदि पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का प्राविधान	(VII) "स्टील्ट फ्लोर के नीचे यदि पार्किंग

3.9.2 बेसमेन्ट के लिए अपेक्षाएं	किया जाता है अथवा भवन के बाहर पार्किंग हेतु एक्सटेन्डिड बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है, तो बेसमेन्ट की छत भूतल के लेवल में होगी और उसके मैकेनिकल वैंटीलेशन की व्यवस्था करनी होगी तथा स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन, आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।"	अथवा प्रस्तर-3.9.1 (VI) में वर्णित प्रयोजनों हेतु बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है अथवा भवन के बाहर पार्किंग हेतु एक्सटेन्डिड बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है, तो बेसमेन्ट की छत भूतल के लेवल में होगी और उसमें मैकेनिकल वैंटीलेशन की व्यवस्था करनी होगी तथा स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।"
--	---	---

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (यथा संशोधित) के अध्याय-3.9 में किये गये उपर्युक्त संशोधनों को अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से तत्काल अंगीकृत करते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

पी० गुरुप्रसाद

Date: 12-03-2025 12:25:52

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में प्रतिभाग किये जाने एवं सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
पी० गुरुप्रसाद
प्रमुख सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-I/936131/2025/8-3099/303/2023 दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से शासनादेश दिनांक 12.03.2025 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.03.2025 की तालिका की द्वितीय पंक्ति "3.9.2 बेसमेंट के लिये अपेक्षाएं" के सम्मुख अंकित संशोधित प्राविधान के कालम में दो स्थानों पर त्रुटिवश अंकित "3.9.1 (VI)" के स्थान पर "3.9.1 (IV)" पढ़ा व समझा जाये। उक्त शासनादेश दिनांक 12.03.2025 के शेष अंश/निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

24/04/2025/10/किप्रभा

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-I/936131/2025/8-3099/303/2023 पार्ट-1
लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 2025

शुद्धि-पत्र

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-आई/905249/2025/8-3099/303/2023 दिनांक 12.03.2025 द्वारा बेसमेन्ट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेन्ट की भाँति एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के 'अध्याय-3.9 'भू-गेह (बेसमेन्ट)' के प्रस्तर-3.9.1 (IV) में नया खण्ड (ज) जोड़ते हुए प्रस्तर-3.9.2(VII) को संशोधित किया गया है।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.03.2025 की तालिका की द्वितीय पंक्ति "3.9.2 बेसमेन्ट के लिए अपेक्षाएं" के सममुख अंकित संशोधित प्राविधान के कालम में दो स्थानों पर त्रुटिवश अंकित "3.9.1 (VI)" के स्थान पर "3.9.1 (IV)" पढ़ा व समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 12.03.2025 के शेष अंश/निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

(राजेश कुमार राय)ed by
विशेष सचिव Rajesh Kumar Rai

Date: 15-04-2025 16:25:12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया शुद्धि पत्र की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव

ANAND (CHP) | Phug

25/4/25

25/4/25
CHP

25/4/25